यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी, नरेन्द्रनगर** (Audit Unit), कृषि एवं भूमि अधिकारी नरेन्द्रनगर (implementing Unit) एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी टिहरी (implementing Unit)द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी, नरेन्द्रनगर (Audit Unit)**,** कृषि एवं भूमि अधिकारी नरेन्द्रनगर (implementing Unit) एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी टिहरी के माह 03/2012 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री भानु प्रताप सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एस एस राणा, एवं श्री द्वारा दिनांक 15/02/2021 से 04/03/2021 तक श्री हनुमान सिंह,वरीष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षणमें सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्रीमहेंद्र तिवारी एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक 16/03/2012 से 26/03/2012 तक श्री बी डी सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 12/2008 से 02/2012तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i)
3.
4. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा संचालन एवं अनुश्रवन करना। इकाई का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद देहारादून है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	0.00	0.00	143.58	143.018	242.21	201.72		40.89
2018-19	0.00	0.00	144.95	137.95	266.21	263.83		9.39
2019-20	0.00	0.00	16.90	16.61	300.52	272.79		28.02
2020-21	0.00	0.00	21.06	18.95	314.53	181.03		135.61

नोट: वित्तीय वर्ष के अंत में बचत की धनराशियाँ समर्पित कर दी जाती हैं।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	वर्ष के दौरानआवंटन	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2017-18	सब–मिशनआन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन	0	3187000	3187000	1993424	1193576
2018-19		1193576	83294400	84487976	77218776	7269200
2019-20		7269200	60494000	67763200	56744129	11019071
2020-21		11019071	55973100	66992171	51694438	15297733

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	वर्ष के दौरानआवंटन	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2017-18	प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना	1658936	26593845	28252781	26893222	1359559
2018-19		1359559	578523	1938082	124250	1813832
2019-20		1813832	21197044	23010876	4145289	18865587
2020-21		18865587	7330000	26195587	23362047	2833540

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	वर्ष के दौरानआवंटन	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2017-18	न्मामि गंगे	0	2144500	2144500	0	2144500
2018-19		2144500	6240000	8384500	8135652	248848
2019-20		248848	2992000	3240848	3240848	0
2020-21		0	165700000	165700000	61083624	104616376

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	वर्ष के दौरानआवंटन	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2017-18	आर0के0वी0वाय0	984259	11195263	12179522	10801352	1378170
2018-19		1378170	6017600	7395770	4657685	2738085
2019-20		2738085	3691873	6429958	3663350	2766608
2020-21		2766608	4244520	7011128	4184453	2826675

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	वर्ष के दौरानआवंटन	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2017-18	मृदास्वास्थय कार्ड एवं मैनेजमैंट/एन0ई0जी0पी0ए0	892718	125000	1017718	619888	397830
2018-19		397830	155000	552830	125000	427830
2019-20		427830	1090000	1517830	636115	881715
2020-21		881715	1177000	2058715	1419402	639313

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	वर्ष के दौरानआवंटन	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2017-18	एन0एफ0एस0एम0	0	0	0	0	0
2018-19		0	50000	50000	49391	609
2019-20		609	3266000	3266609	2335274	931335
2020-21		931335	2927000	3858335	2910421	947914

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	वर्ष के दौरानआवंटन	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2017-18	आई0डब्ल्यू0एम0पी0	8200	0	8200	0	8200
2018-19		8200	1258080	1266280	1266280	0
2019-20		0	0	0	0	0
2020-21		0	0	0	0	0

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रारभिकअवशेष	वर्ष के दौरानआवंटन	योग	व्यय	अवशेष
2017-18	आतमा	1047822	8964000	10011822	5010218	5001604
2018-19		5001604	6068000	11069604	7743321	3326283
2019-20		3326283	11839000	15165283	8685998	6479285
2020-21		6479285	3188000	9667285	8772786	894499

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिकअवशेष	वर्ष के दौरानआवंटन	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2017-18	पी0के0वी0वाय0	2185621	18869000	21054621	21054621	0
2018-19		0	44538000	44538000	8105421	36432579
2019-20		36432579	52273300	88705879	71169114	17536765
2020-21		17536765	55080756	72617521	61268550	11348971

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासनद्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"स"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव-निदेशक-अपर कृषि निदेशक-संयुक्त कृषि निदेशक-कृषि एवं मुख्य कृषि अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में माह 03/2012 से 01/2021 तक किए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अधिक व्यय वाले माह तथा अधिक व्यय वाले पूर्ण किए गए कार्यो को आच्छादित किया गया। आहरण एवं वितरण अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**मुख्य कृषि अधिकारी,टिहरी नरेन्द्रनगर**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह03/2016, 03/2017, 12/2019 **एवं 12/2020** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो 'अ'

प्रस्तर-1: रु 97.35 लाख का अनियमित व्यय और इसमें से रु 28.00 लाख का व्ययावर्तन।

Rule-22 of GFR-2017 reveals that no authority may incur any expenditure or enter into liability involving expenditure unless the same has been sanctioned by competent authority. And Rule-92 of Budget manual also reveals that the grant placed at disposal of controlling officer is expended only on the objects for which it has been provided. Further Rule-375(a) of FHB-VI retreated that it is a fundamental rule that no work shall be commenced unless a properly detailed estimate have been sanctioned, allotment of funds made, and orders for its commencement issued by competent authority.

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की गाइडलाइन के अनुसार इस योजना के दूसरे भाग (second phase) को तीन वर्षों अर्थात 2018-19 से वर्ष 2020-21 के लिए लागू किया गया था। गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्य योजना स्वीकृत होनी थी कार्ययोजना के सापेक्ष धनराशि और लक्ष्य निर्गत किए जाने थे और संबन्धित वर्ष हेतु क्रियान्वयन किया जाना था। इस योजना में जनपद टिहरी जनपद के चयनित 295 कलस्टर/गाँव मे प्रति कलस्टर 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 50 कृषकों को आच्छादित कर कृषकों को परंपरागत कृषि अर्थात जैविक खेती की ओर अग्रसारित करना था।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न घटकों मे से इस घटक (डीबीटी के माध्यम से भूमि का जैविक मे परिवर्तन एवं ऑफ फार्म हेतु कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि) के अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की स्वीकृत/निर्गत कार्ययोजना के अनुसार वर्मी कम्पोस्ट पिट/ नाड़ेप पिट की स्थापना हेतु रु 5000.00 प्रति यूनिट की धनराशि आवंटित एवं व्यय की गई थी। इस व्यवस्था के तहत कृषक द्वारा पिट के निर्माण कर दिये जाने के बाद कृषक को रु 4500.00 की वित्तीय सहायता एवं रु 500.00 में 02 किलो केचुए रु 250.00 की दर से उपलब्ध कराया गया था। या फिर कृषको को रु 4643.00 का टेट्रा वर्मी बेड उपलब्ध कराया गया था तथा शेष धनराशि के केचुए दिये गए थे।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि दोनों वर्षों की कार्ययोजना के अनुसार प्रत्येक वर्ष 20-20 कृषकों को प्रति कलस्टर/गाँव अर्थात कुल 40 कृषकों को प्रति कलस्टर/गाँव वर्मी कम्पोस्ट पिट हेतु प्रोत्साहन धनराशि दी जानी थी या फिर कृषक को टेट्रा वर्मी बेड उपलब्ध कराया जाना था। तथा प्रति कलस्टर/गाँव शेष 10 कृषक को अगले वर्ष की कार्ययोजना अर्थात वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना मे आच्छादित किया जाना था परंतु वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना लेखापरीक्षा तिथि तक स्वीकृत एवं निर्गत नहीं की गई थी और न ही धनराशि आवंटित या प्राप्त हुई थी। इस प्रकार 295 कलस्टर/गाँव मे प्रत्येक वर्ष 5900 (295x20) के हिसाब से दोनों वर्षों में कुल 11800 कृषकों को आच्छादित किया जाना था। परंतु इकाई के अभिलेखो एवं विकासखंडों से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार निम्न तालिका के अनुसार कृषकों का आच्छादन किया गया था:

विकासखंड का नाम	**कलस्टर/गाँव की संख्या**	**वर्ष 2018-20 के वर्मी पिट/ नाडेप पिट के**		**अना-आच्छादित कलस्टर/ गाँव की संख्या**
		लक्ष्य @40	**पूर्ति**	
जौनपुर	30	1200	1479	00
चंबा	33	1320	1650	00
प्रताप नगर	35	1400	1750	00

भिलंगना	20	800	1000	00
कीर्ति नगर	43	1720	2148	00
देवप्रयाग	49	1960	2090	04
नरेंद्र नगर	50	2000	1880	11
थौलधार	21	840	1050	00
जाखनीधार	14	560	700	00
योग	**295**	**11800 (295x40)**	**13747**	**15**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1947 वर्मी पिट/ नाडेप पिट (13747-11800) को दो वर्षों के लक्ष्य (5900x2=11800) से अधिक स्थापित/ उपलब्ध कराये गये थे और जिन पर रु 97.35 लाख (रु 5000.00x1947) का व्यय किया गया। इस प्रकार आठ विकासखंडों में योजना के तीसरे वर्ष के वर्मी पिट/ नाडेप पिट स्थापित/ उपलब्ध कराने के लक्ष्यों को बिना तीसरे वर्ष की कार्ययोजना के स्वीकृत हुए और धनराशि के निर्गत के बिना ही वर्मी पिट/ नाडेप पिट स्थापित/ उपलब्ध कराये गये थे। जो कि अनियमित था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस व्यय की प्रतिपूर्ति अनियमित रूप से वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना के घटकों के क्रियान्वयन के बाद अवशेष बची धनराशि और वर्ष 2019-20 मे कई घटकों को क्रियान्वित न किए जाने से अवशेष बची धनराशि से की गयी थी। आगे यह भी पाया गया कि दो विकास खंडों के 14 कलस्टर/ गाँव के 560 कृषको (14x40) को अभी तक वर्मी पिट/ नाडेप पिट बनाये/उपलब्ध नहीं कराये गये थे। जबकि अन्य विकासखंड के कलस्टर/ गावों मे दो वर्षों के लक्ष्य से ज्यादा वर्मी पिट/ नाडेप पिट उपलब्ध कराये गये। और 560 कृषकों को आच्छादित किए जाने वाली धनराशि रु 28.00 लाख को व्यावर्तित कर ज्यादा आच्छादित वाले कलस्टर मे व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत प्रति कलस्टर तीन वर्षों मे 50 कृषकों हेतु 50 वर्मी/नाड़ेप पिट बनाये जाने थे जिन्हे पहले ही पूर्ण कर लिया गया है ताकि संबन्धित कलस्टर में कृषकों के बीच रोष उत्पन्न न हो। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दो वर्षों की स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार प्रति कलस्टर/गाँव 40 के हिसाब से कुल 11800 वर्मी/नाड़ेप पिट बनाये/उपलब्ध कराये जाने थे। जबकि इकाई द्वारा अनियमित रूप से रु 97.35 लाख व्यय करके 1947 अधिक वर्मी/नाड़ेप पिट बनाये/उपलब्ध कराये थे। और इकाई द्वारा दोनों स्वीकृत कार्ययोजना के अन्य स्वीकृत घटको के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की गयी थी। साथ ही रु 28.00 लाख को व्यावर्तित कर 560 कृषकों को वर्मी/नाड़ेप पिट के लाभ से वंचित रखा गया।

अतः रु 97.35 लाख के अनियमित रूप से व्यय करने और इस अनियमित व्यय से रु 28.00 लाख को व्यावर्तित करने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो "ब"

प्रस्तर:1 योजना पर ₹ 544.80 लाख व्यय होने के बावजूद भी उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत संचालित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की एक सब-योजना है जिसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान एवं विज्ञान के मिश्रण के माध्यम से जैविक खेती के टिकाऊँ माडल का विकास करना है जिससे दीर्घकालिक मृदा उर्वरता निर्माण संसाधन सरक्षण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन में मदद मिल सके। यह मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है और इस तरह कृषि-रसायनो के उपयोग के बिना जैविक कार्यों के माध्यम से स्वस्थ भोजन के उत्पादन में मदद करता है। पीकेवीवाई का उद्देश्य कृषि पद्धतियों के माध्यम से न केवल कृषि पद्धतियों प्रबंधन इनपुट उत्पादन, गुणवत्ता आवश्वासन बल्कि नवीन साधनों के माध्यम से मूल्य सवर्धन और प्रत्यक्ष विपणन में भी संस्थागत विकास के माध्यम से किसानो को सशक्त बनाना था ।

एक सब-कम्पोनेंट योजना है। वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जो कि 90 प्रतिशत केंद्रान्श एवं 10 प्रतिशत राज्यान्श पर आधारित है।

उक्त योजना के अनुसार निदेशालय के पत्र संख्या 1551, दिनांक 02.06.2016 के द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर को परंपरागत कृषि विकास योजना 2016-17 में तीन वर्ष की कार्य योजना तैयार की गयी थी जिसमे जैविक कृषि क्लस्टर बनाए जाने थे जिनको विभिन्न माध्यमों से लाभार्थियों को सतत जैविक कृषि की तरफ ले जाना था। जिस हेतु मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी नरेंन्द्रनगर द्वारा 45 क्लस्टरों का चयन किया गया था ।

जिनमे किसानों को निम्न प्रमुख सहायता प्रदान की जानी था :-

1. जैविक कृषि क्लस्टर बनाने हेतु कृषक गोष्ठी का आयोजन किया जाना था।
2. जैविक कृषि क्षेत्रो का भ्रमण किया जाना था ।
3. क्लस्टर गठन एवं लीड रेसोर्स पर्सन का चयन ।
4. जैविक खेती पर कृषको को तीन प्रशिक्षण दिया जाना था ।
5. सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पीजीएस) पर भी दो दिनो का प्रशिक्षण दिया जाना था।
6. लीड रेसोर्स पर्सन का 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना था ।
7. तरल जैव उर्वरक का वितरण किया जाना।
8. तरल बायोपेस्टिसाइड की व्यवस्था किया जाना।
9. प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था किया जाना।
10. फारेस्ट जैव खाद की व्यवस्था किया जाना।
11. वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना किया जाना।
12. जैविक उत्पाद के प्रोसेसिंग/ग्रेडिंग/ क्लीनिंग/ थ्रेसिंग एवं खेत की तैयारी हेतु कृषि यंत्रों के प्रयोग हेतु कस्टम हायरिंग सेंटर के व्यय के भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी ।
13. जैविक उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग और होलोग्राम का उपयोग किया जाना था।
14. जैविक उत्पादों हेतु परिवहन सहायता प्रदान की जानी थी ।

15. जैविक मेले का आयोजन किया जाना था।

उक्त क्रियाकलापों के माध्यम से क्लस्टर को इस स्तर से मजबूती प्रदान किया जाना था कि वो तीन वर्षो के उपरांत वो स्वयं से जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो जाए। साथ ही योजना के तीन वर्ष पूर्ण होने पर योजना के प्रभाविकता का मूल्यांकन भी किया जाना था।

इकाई द्वारा उक्त योजना पर पाँच वर्षों तक धनराशि ₹ 544.80 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। जबकि योजना में तीन वर्षों तक क्लस्टरों को सहायता प्रदान की जानी थी। तदोपरांत किसानों को स्वयं से जैविक खेती करनी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना से संबन्धित लेखा अभिलखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त 45 क्लस्टरों का तीन वर्ष पूर्ण हो गया था और इकाई के पास ऐसा कोई तंत्र विददमान नही था जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि ये क्लस्टर वर्तमान में जैविक कृषि कर रहे थे अथवा नही। साथ ही इकाई द्वारा थर्ड पार्टी से प्रभाविकता की जांच भी नही की गयी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्लस्टर द्वारा जैविक खेती को भविष्य में न किए जाने के क्या कारण रहे। क्योकि यदि क्लस्टर वर्तमान में जैविक खेती नही कर रहे तो योजना के उद्देश्य की पूर्ति नही हो पायी और योजना पर किया गया ₹ 544.80 लाख का व्यय भी निरर्थक रहा।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि योजना के अनूरूप कृषकों को तीन साल तक लाभान्वित किया गया जिसके उपरांत कृषकों को जैविक खेती हेतु पीजीएस प्रमाणीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये गए तत्पश्चात कृषकों द्वारा स्वयं के खर्चों पर जैविक खेती कर जैविक उत्पाद उत्पादित कर बाजार में बेचे जा रहे हैं।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही था क्योकि इकाई द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रमाणित किया जा सके की उक्त 45 क्लस्टरों के द्वारा वर्तमान में जैविक कृषि की जा रही थी।

अतः इकाइयों द्वारा उचित ढंग से क्लस्टरों को प्रशिक्षित एवं जागरूक न किए जाने के कारण ₹ 544.80 लाख का व्यय होने के बावजूद भी योजना का उद्देश्य पूर्ण न होने एवं त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग दो "ब"</u>

प्रस्तर 2: कृषि यंत्रों पर ₹ 142.03 लाखका अनियमित अनुदान।

कार्यालय में संचालित योजना SUB-MISSION ON AGRICULTURAL MECHANIZATION (एसएमएएम) का संचालन किया जा रहा है। गाइडलाइन के अनुसार कृषकों को दिये जाने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। लाभार्थी जिनको सब्सिडी प्राप्त करनी है वो आवेदन के साथ आधार कार्ड, खसरा, खतौनी, फोटो/ आवेदन पत्र पर लाभार्थी एवं ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा सत्यापित शपथ पत्र बैंक की कापी, विक्रय किए गए यंत्रों की छायाप्रती संलग्न की जानी चाहिए।

एसएमएएम से संबन्धित वर्ष 2017-20 की लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा जनपद में कृषकों को वितरित कृषि सयंत्र अनुदान के रूप में ₹ 142.03 लाख प्रदान किए गए थे जिनकी पात्रता जैसे भू अभिलेख, आधार कार्ड एवं अन्य अभिलेख संलग्न नही थे, सुनिश्चित किए बिना ही उनको कृषि सयंत्र अनुदान के रूप में प्रदान किए गए जो एसएमएएम की दिशा निर्देशों के अनुसार उचित नही थे।

आगे अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि बाउचर संख्या 11 दिनांक 03/08/2019 द्वारा ₹ 266000/- का भुगतान किया गया। उक्त लाभार्थियों द्वारा संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों में पाया गया कि ग्रामीण चारा विकास समिति, डांगु नरेंद्र नगर एवं ग्रामीण चारा विकास समिति, पलेठी द्वारा एक ही व्यक्ति की फोटो चस्पा की गयी है जबकि ये दोनों समूह अलग थे।

आगे बाउचर संख्या 06 दिनांक 25/06/2019 द्वारा ₹2850 का अनुदान पर्वतीय हल(03) के रूप में दिया गया था जो कि एक ही परिवार के व्यक्तियो/ महिलाओं को प्रदान किया गया था, जबकि उक्त अनुदान को प्रदान करते समय एसएमएएम के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि आवेदन पत्र पर जनप्रतिनिधियों एवं क्षेतीय कर्मचारियों द्वारा आवेदन सत्यापित किया गया है इस आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही था क्योकि इकाई द्वारा स्वयं पुष्टि की गयी थी की लाभार्थी जिनको सब्सिडी प्राप्त करनी है वो आवेदन के साथ आधार कार्ड, खसरा, खतौनी, फोटो/ आवेदन पत्र पर लाभार्थी एवं ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा सत्यापित शपथ पत्र बैंक की कापी, विक्रय किए गए यंत्रों की छायाप्रती संलग्न की जानी चाहिए।

अतःकृषि यंत्रों पर ₹ 142.03 लाख का अनियमित अनुदानप्रदान किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग दो "ब"</u>

प्रस्तर 3:- ठेकेदारों को₹ 5.99 लाख की न्यास निधि का अदेय लाभ प्रदान किया जाना।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के संख्या 1763/VII-1/2017/8ख/16 देहारादून के दिनांक 17/12/2017 के अनुसार उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली-2017 बनायी गयी जो सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होती है। उक्त नियमावली के बिन्दु संख्या 10 के उपसंख्या-02 के अनुसार:-

1- समस्त उपखनिज पट्टाधारक रायल्टी का 25 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे ।

2- सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जाएगा।

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी, नरेंद्र नगर की अधीनस्थ इकाइयों भूमि संरक्षण अधिकारी नरेद्रनगर, कीर्तिनगर, टिहरी, एवं चंबा द्वारा 2017-18 से 2020-21 के मध्य इकाई द्वारा निर्माण कार्यों मेंरायल्टी तो काटी जा रही थी लेकिन न्यास निधि नही काटी गयी थी। जो निम्न थी :-

क्रम संख्या	बीएसए का नाम	काटी गयी रायल्टी	न्यास निधि जो काटी जानी चाहिए थी
1.	बीएसए नरेन्द्रनगर	845143	211285.75
2.	बीएसए टिहरी	454229	113557.25
3.	बीएसए कीर्तिनगर	786509	196627.25
4.	बीएसए चंबा	278941	77960.00
5.	योग		599430.25

जो की न्यास निधि के शसानादेश का उल्लंघन था ।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि शासनादेश का संज्ञान न होने के कारण उक्त कटौतियाँ नही की गयी

अतः ठेकेदारों को₹ 5.99 लाख की न्यास निधि का अदेय लाभ प्रदान किया जाना।

भाग दो "ब"

प्रस्तर 4: उत्तराखंड नियमावली के विरूद्ध ₹30.75 लाख का भुगतान किया जाना ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार तत्काल आवश्यकता या छोटे कार्य, प्रतिस्थापन, रास्ता खोलने हेतु भू-स्खलन की सफाई आदि, जिसकी लागत ₹25000(₹ पच्चीस हजार) तक हो बिना कोटेशन के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से कराया जा सकता है साथ ही सक्षम अधिकारी प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर 250000 लाख (₹ दो लाख पचास हजार) तक के कार्य करा सकता है।

कार्यालय कृषि एवं भूमि सरक्षण अधिकारी नई टिहरी की जिला योजना एवं प्रधानमंत्री सिचाई योजना से संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया की उक्त इकाई द्वारा वर्ष 2017-20 की अवधि में ₹ 3074994.00 का निर्माण कार्य सुरक्षा दीवार एवं सामुदायिक सिचाई टैंक हेतु कराया गया जिसमे अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन नही किया गया। जबकि अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार ₹ 25000.00 से ऊपर के निर्माण कार्यों हेतु कोटेशन लिया जाना चाहिए था। साथ ही उक्त कार्यों पर नगद भुगतान किया गया। जो अनियमित था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त निर्माण कार्य वर्ष 2016 से पीएमकेएसवाई योजना से संबन्धित है एवं पीएमकेएसवाई योजना में निर्माण कार्य आईडबल्यूएमपी योजना के अनुसार किया जाना था जिसकी गाइड लाइन के अनुसार भुगतान कार्य सामग्री बिल तथा मजदूरी के आधार पर किया जाना था साथ ही वर्ष 2016-17 में डीबीटी का खाका पूर्ण रूप से तैयार न होने के कारण मस्टररोल से भुगतान किया गया।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही था क्योकि गाइड लाइन में स्पष्ट लिखा था कि कार्य ठेके पर किया जाय साथ ही डीबीटी का माध्यम से भुगतान किए जाने हेतु स्वयं पुष्टि की है।

अतः उत्तराखंड नियमावली के विरूद्ध ₹30.75 लाख का भुगतान किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर- 5: रु 7.50 लाख की धनराशि से बनाये जाने वाले 150 पिटों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहने से 150 कृषकों को मिलने वाले लाभ से वंचित रहना।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की गाइडलाइन/कार्य-योजना के अनुसार कृषकों को परंपरागत कृषि की ओर प्रेरित करने के लिये अन्य कॉम्पोनेंट के साथ-साथ रु 5000.00 प्रति यूनिट से वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु विकास खंड में संचालित मनरेगा योजना से युगपितीकरण (dovetailing) किया गया था। जिसमे विकास खंड नरेंद्र नगर के पीकेवीवाई के अंतर्गत चयनित चार[1] कलस्टर/ग्राम मे 200 वर्मी कम्पोस्ट पिट (एक कलस्टर मे 50 कृषको हेतु) स्थापित किये जाने थे। इकाई द्वारा 50 पिटों का रु 249969.00 का आगणन तैयार किया गया था और आगणन के अनुसार ही 200 पिटों की धनराशि रु 999876.00 (रु 249969.00x4) के सापेक्ष रु 997876.00 विकास खंड को निर्गत किये गये थे (जनवरी-2020)। इन पिटों के निर्माण मे मनरेगा का अंश रु 70867.50 प्रति 50 पिट अर्थात रु 283470.00 था। विकास खंड द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक मात्र 50 पिटों का निर्माण किया गया था और 150 पिट का कार्य प्रगति पर था (फरवरी-2021)।

इसप्रकार एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद 150 पिटों का निर्माण नहीं हो सका था और पीकेवीवाई की रु 7.50 लाख की धनराशि से 150 कृषको को लाभ नहीं मिल सका था। तथा योजना का उद्देश्य, कि कृषको को परंपरागत जैविक कृषि की ओर प्रेरित करना, भी पूर्ण नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वीकारोक्ति के साथ बताया गया कि युगपितीकरण के माध्यम से निर्मित होने वाले शेष 150 वर्मी पिटों पर कार्य प्रगति पर है, विलंब का मुख्य कारण सृजित मानव दिवस का कम होना था।

अतः रु 7.50 लाख की धनराशि से बनाये जाने वाले 150 पिटों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहने तथा 150 कृषकों को मिलने वाले लाभ से वंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[1] **भूतली-50 पिट, सोनी-50 पिट, लोडसी-50 पिट एवं घिगुड़-50 पिट**

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर- 6: बैंक गारंटी के रूप में पर्याप्त safeguard न लेते हुए फ़र्मों को रु 118.65 लाख का अग्रिम दिया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित है कि Payments for services rendered or supplies made, should be released only after the services have been rendered or supplies made. While making any advance payment as advance, adequate safeguard in the form of bank guarantee should be obtained from the firm.

नमामि गंगे क्लीन अभियान के अंतर्गत गंगा बेसिन पर बसे विकासखंडों के ग्रामों मे योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना वर्ष 2020-21 मे स्वीकृत की गई थी। इस कार्य योजना का क्रियान्वयन पीकेवीवाई की गाइडलाइन के अनुसार किया जाना था। तथा कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु टिहरी जनपद के लिए एक सपोर्ट एजेंसी[2] (20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु) और दो प्रादेशिक परिषद[3] (एक प्रति 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु) का चयन निदेशालय स्तर से ही किया गया था तथा संबन्धित एजेंसी से इकाई स्तर पर एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। निर्गत कार्ययोजना के अनुसार सपोर्ट एजेंसी द्वारा ग्रामों में कलस्टर का गठन, कृषको का प्रशिक्षण एवं उनका एक्सपोजर भ्रमण तथा प्रक्षेत्र का जैविक मे परिवर्तन संबन्धित समस्त क्रियाकलापों का अभिलेखीकरण आदि कार्य संपादित किये जाने थे। इसीप्रकार प्रादेशिक परिषद को भौतिक सत्यापन, आकणों की आवर्ती जांच आदि कार्य किये जाने थे। इकाई के अभिलेखों में पाया गया कि उक्त तीनों एजेंसी से इकाई द्वारा समझौता ज्ञापन दिनांक क्रमशः अगस्त-2020, मई-2020 और सितंबर-2020 को किये गये थे। समझौता ज्ञापन की शर्त के अनुसार एजेंसी को सौंपे गये कार्य की धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी होगी।

आगे लेखाभिलेखों में पाया गया कि प्रादेशिक परिषद SUVIDHA, हल्द्वानी द्वारा सौंपे गये कार्य रु 70.00 लाख (10,000 हे0x 700 प्रति हे0) का 5 प्रतिशत अर्थात रु 3.50 लाख की बैंक गारंटी को जनवरी-2021 मे submit किया था जबकि एमओयू मई-20 मे हो गया था। और ICCOA द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक रु 3.50 लाख की बैंक गारंटी को submit नहीं किया गया था। अगली शर्त यह थी कि financial assistance will be paid तो the agency in the manner as follows:

- The agency will submit their bill after completion of Activity/ component wise work.
- The financial assistance will be released to agency based on progress and submitted bill of the work after work verification.

लेखाभिलेखों में पाया गया कि उक्त तीनों एजेंसी द्वारा ज्ञापन की शर्त के अनुसार किये गये कार्यों का बिल न प्रस्तुत करते हुए अग्रिम की मांग की गयी थी और इकाई द्वारा Biocert को रु 115.00 लाख की धनराशि के अग्रिम स्वीकृत एवं भुगतान किये गए थे। और इसीप्रकार SUVIDHA एवं ICCOA को क्रमशः रु 28.00 लाख और रु 17.15 लाख की धनराशि के अग्रिम दिये गए थे। जो अधिप्राप्ति नियमावली के अनुकूल नहीं है। हलांकि Biocert की 5% के रूप में रु 38.00 लाख की बैंक गारंटी थी

[2] Biocert International Pvt. Ltd. Indore.
[3] (a) SUVIDHA, Haldwani and (b) ICCOA, Bangalore.

परंतु वह अग्रिम से रु 67.00 लाख कम थी, SUVIDHA की रु 3.50 लाख की बैंक गारंटी थी जो की अग्रिम से रु 24.50 लाख कम थी और ICCOA की कोई बैंक गारंटी नहीं थी। इसप्रकार पाया गया कि धनराशियों (Biocert: रु 115.00 लाख 'Minus' रु 38.00 लाख 'Equal to' रु 77.00 लाख, SUVIDHA: रु 28.00 लाख 'Minus' रु 3.50 लाख 'Equal to' रु 24.50 लाख And ICCOA: रु 17.15 लाख) के अग्रिम के रूप में फ़र्मों को प्रदान किये जाने हेतु बैंक गारंटी के रूप मे रू. 118.67 लाख का पर्याप्त Safeguard नहीं लिये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पुछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि माननीय कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में जनवरी, 2020 के समीक्षा बैठक मे सपोर्ट एजेंसी को अग्रिम भुगतान के संबंध में कृषि-निदेशक को निर्देश दिये कि वार्षिक योजना के सापेक्ष तीन माह में संपादित किये जाने वाले कार्यों के लिये अग्रिम धनराशि दी जा सकती है और साथ ही उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के बिन्दु सं0 18(ख) मे इंगित है कि राज्य/केंद्र की इकाई या सार्वजनिक उपक्रम हेतु मूल्य का 40 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है।
इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार अग्रिम दिये जाने में बैंक गारंटी के रूप मे पर्याप्त Safeguard नहीं लिये जाने है।

अतः बैंक गारंटी के रूप में पर्याप्त safeguard न लेते हुए फ़र्मों को रु 118.65 लाख के अग्रिम दिये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-2 'ब'</u>

प्रस्तर 7:- कार्मिकों को मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के रूप में रु.166952.00 का अधिक भुगतान किया जाना व एम.ए.सी.पी. का लाभ रु. 55519.00 प्रदान न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या:11/XXVI(7)30(14)/2017 दिनाँक 17 फरवरी 2017 के संलग्नक के बिन्दु संख्या 27 के उदाहरण VI में प्रावधानित है कि पूर्व में लागू ए.सी.पी. व्यवस्था के अंतर्गत द्वितीय वित्तीय स्तरोन्न्यन चाहे वह ए.सी.पी. के रूप में अनुमन्य हो या पदोन्नति के रूप में, प्राप्त होने की तिथि से 10 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर ही एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय स्तरोन्न्यन अनुमन्य होगा।

इसके अतिरिक्त सातवें वेतन आयोग के तहत उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग के पत्रांक: 290/XXVII(7)50(16/2016 दिनांक 30 दिसम्बर 2016 द्वारा उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के अनुसार दिनाँक 31.12.2015 को निर्धारित मूल वेतन व ग्रेड वेतन के योग को 2.57 से गुणा करते हुए सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारित किया जाय।

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्र नगर में कार्यरत कार्मिक श्री जगमोहन सिंह की सेवा पुस्तिका व वेतन से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्री सिंह का दिनाँक 01.09.2008 से द्वितीय वेतन स्तरोन्न्यन में स्वीकृत ग्रेड वेतन 2400/- के तहत दिनांक 01.07.2013 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन 8850/- व ग्रेड वेतन 2400/- निर्धारित था। दिनाँक 01.07.2014 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए मूल वेतन 9190/- व ग्रेड वेतन 2400/- तथा दिनाँक 01.07.2015 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए मूल वेतन 9540/- व ग्रेड वेतन 2400/- निर्धारित होता है जिस पर 2.57 से गुणा करते हुए सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारित किया जाना था। इसके सापेक्ष इकाई द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि त्रुटिपूर्ण निर्धारित करते हुए वेतन का लाभ प्रदान किया गया है जिसके आधार पर श्री सिंह को मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के रूप में रु. 85823.00 **(विवरण संलग्न सूची के अनुसार)** का अधिक भुगतान किया गया है।

आगे जांच में पाया गया कि श्री सिंह को दिनाँक 01.09.2008 से द्वितीय वेतन स्तरोन्न्यन में स्वीकृत ग्रेड वेतन 2400/- प्रदान किया गया है परन्तु द्वितीय वित्तीय स्तरोन्न्यन प्राप्त होने की तिथि से 10 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर ही एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय स्तरोन्न्यन का लाभ लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2020) तक इकाई द्वारा प्रदान नहीं किया गया है जिसके कारण श्री सिंह तृतीय वित्तीय स्तरोन्न्यन रु.55519.00 **(विवरण संलग्न सूची के अनुसार)** के लाभ से वंचित रहे।

इसी क्रम में कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल में कार्यरत श्री सुरेन्द्र सिंह राणा का दिनाँक 31.12.2015 को मूल वेतन 9110/- व ग्रेड वेतन 2400/- निर्धारित था जबकि इकाई द्वारा श्री राणा को सातवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने हेतु रु. मूल वेतन 9460/- व ग्रेड वेतन 2400/- के आधार पर 2.57 से गुणा करते हुए वेतन निर्धारित किया

गया है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारित करते हुए श्री राणा को मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के रूप में रु. 81129.00 **(विवरण संलग्न सूची के अनुसार)** का अधिक भुगतान किया गया है।

इसके अतिरिक्त श्री राणा को 2400/- ग्रेड वेतन किस तिथि से अनुमन्य किया गया व कितने वर्षो से लगातार वह इस ग्रेड वेतन में कार्यरत है, से संबन्धित स्पष्ट आदेश संबन्धित पत्रावली में नहीं पाया गया जिससे लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि श्री राणा को एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय स्तरोन्न्यन का लाभ किस तिथि से देय है?

इस ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि त्रुटिवश कार्मिकों का वेतन निर्धारण गलत हो गया है जिसे जांच कर सही कर लिया जाएगा तथा ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किए जाने की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त संबन्धित कार्मिक के वेतन निर्धारण से संबन्धित आदेश एवं अन्य प्रपत्र ढूंढकर उनके वेतन की जांच कर वेतन की वसूली एवं अनुमन्य भुगतान जैसे ए.सी.पी. प्रदान किया जाना शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः कार्मिकों को मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के रूप में रु.166952.00 का अधिक भुगतान किया जाना व एम.ए.सी.पी. का लाभ रु. 55519.00 प्रदान न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-2 'ब'</u>

प्रस्तर 8:-कार्मिकों की कटौती की धनराशि रु.398200.00 तथा नियोक्ता के अंशदान रु.503963.00 कुल रु.902163.00 के एन.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त रिटर्न के लाभ से वंचित रहना।

दिनांक 01.10.2005 के बाद नियुक्त कार्मिक नई पेंशन योजना के अंतर्गत एक माह की अवधि में PRAN संख्या आवंटित होने के उपरान्त कार्मिक व नियोक्ता अंशदान के रूप में मूल वेतन व मंहगाई भत्ते के योग की 10 प्रतिशत धनराशि व उत्तराखंड शासन के पत्रांक: 169/42/XXVII(10)/2018/2019 दिनांक 12.06.2019 द्वारा दिनांक 01.04.2019 से 14 प्रतिशत धनराशि के समतुल्य का मासिक अंशदान नियोक्ता द्वारा किए जाने का प्रावधान है। कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल में नई पेंशन योजना के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों श्री प्रमोद कोठियाल, श्री मुकेश लाल, श्री राम नाथ व श्री नितेश शर्मा के नई पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त कार्मिकों को वर्ष 2017-18 व 2018-19 में नियुक्ति होने के बाद भी लेखापरीक्षा तिथि तक न तो PRAN संख्या आवंटित हुई है तथा न ही उनकी नई पेंशन योजना में कटौती की जा रही है। कार्मिकों के मूल वेतन व मंहगाई भत्ते का विवरण संलग्न है **(सूची संलग्न)।** सलग्न सारणी से स्पष्ट है कि उक्त कार्मिकों की कटौती की धनराशि रु.398200.00 तथा नियोक्ता के अंशदान रु.503963.00 कुल रु.902163.00 व एन.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त रिटर्न के लाभ से वंचित रहे।

इस ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि PRAN से संबन्धित कार्मिकों द्वारा आवेदन प्रपत्र त्रुटिपूर्ण भरे गए जिस कारण PRAN नंबर आवंटन में विलम्ब हुआ है। शीघ्र ही इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आगे उत्तर दिया गया कि कार्यालय द्वारा समय-समय पर संबन्धित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया एवं शीघ्र ही कार्यवाही पूर्ण कर PRAN नंबर आवंटित कर कटौती प्रारम्भ की जाएगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः कार्मिकों की कटौती की धनराशि रु.398200.00 तथा नियोक्ता के अंशदान रु.503963.00 कुल रु.902163.00 के एन.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त रिटर्न के लाभ से वंचित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- रु. 257836.00 का अनियमित व्यय किया जाना।

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्र नगर के मासिक व्यय की विस्तृत जांच हेतु चयनित माह 03/2016 के व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर टिहरी जनपद के विकासखंडों/न्याय पँचायतों स्तर पर आपूर्ति करने हेतु कृषि निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा विनिर्माता फ़र्म दिनेश इरीगेशन के एचडीपीई पाइप 25mm व 32mm हेतु आपूर्तिकर्ता फ़र्म मैसर्स श्री एंटरप्राइजेज़ की दरें स्वीकृत की गई। इसके सापेक्ष इकाई द्वारा उक्त पाइप की 11400 मीटर आपूर्ति करने हेतु आपूर्तिकर्ता फ़र्म मैसर्स श्री एंटरप्राइजेज़ को आपूर्ति आदेश जारी न कर मैसर्स प्राइम सोल्यूशन जिसकी दरें 40mm व 50mm हेतु स्वीकृत थी, को दिनांक 05 जनवरी 2016 को जारी किया गया जिसके क्रम में मैसर्स प्राइम सोल्यूशन के बिल संख्या 749 दिनांक 27.02.2016 द्वारा 11000 मीटर की आपूर्ति की गई तथा इकाई द्वारा उक्त फ़र्म को रु. 257836.00 (50% अनुदान व बजट की उपलब्धतानुसार) का भुगतान किया गया।

इस ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया केवल 11000 मीटर पाईप की ही आवश्यकता पड़ी एवं भुगतान भी 11000 मीटर हेतु ही किया गया। आगे उत्तर दिया गया कि दोनों फ़र्में एक ही व्यक्ति से संबन्धित है किन्तु पाईप की आपूर्ति के समय श्री एंटरप्राइजेज़ के पास पाईप का स्टॉक न होने के कारण प्राइम सोल्यूशन द्वारा आपूर्ति की गई जिस कारण भुगतान भी प्राइम सोल्यूशन को ही किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिस आपूर्तिकर्ता फ़र्म की दरें स्वीकृत थी उसी फ़र्म को आपूर्ति आदेश जारी कर उसी फ़र्म से आपूर्ति ली जानी चाहिए थी एवं भुगतान भी उसी फ़र्म को किया जाना चाहिए था।

अतः रु. 257836.00 का अनियमित व्यय किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	**अनिस्तारित प्रस्तर**		
	भाग-2अ	**भाग-2ब**	**STAN**
150/2008-09	-	02**,03**	-
11/2012-13	-	01**,02**	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	विभागीय उत्तर में बताया गया कि उक्त प्रस्तरों की यथाशीघ्र आख्या तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रषित की जायेगी अतः उक्त सभी प्रस्तर यथावत रखने हेतु, प्रस्तावित है।			

<u>भाग-IV</u>

-इकाई के सर्वोत्तम कार्यः-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी, नरेन्द्रनगर उत्तराखण्ड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
	श्री गोपाल सिंह भण्डारी	**मुख्य कृषि अधिकारी**	**03/12/2012 से 04/09/2012**
	श्री सुरेश चन्द्र सिंह	**मुख्य कृषि अधिकारी**	**04/09/2012 से 14/07/2017**
	श्री जे पी तिवारी	**मुख्य कृषि अधिकारी**	**15/07/2017 से वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी, नरेन्द्रनगर उत्तराखण्ड,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार एएमजी-1 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाये।

व.लेखापरीक्षा अधिकारी/

एएमजी-1